मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक 6/3/8/चार-ब-6/92, भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 1993

विषय.—निलम्बन की अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने बाबत

उपरोक्त विषय में प्रचलित नियमों में यह उल्लेख नहीं है कि यदि निलंबित शासकीय सेवकों को निलम्बनकाल में गृह निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं. राज्य शासन ने विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया है कि निलम्बन काल अवधि में निलंबित शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को गृह निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाएगा. इसी प्रकार जिन शासकीय सेवकों को गृह निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत किया गया हो एवं राशि आहरण के पूर्व निलंबित हुआ है तो उन्हें अग्रिम की पात्रता नहीं होगी. साथ ही ऐसे कर्मचारियों के आवेदन पत्र म. प्र. गृह निर्माण मंडल विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास तथा अन्य संस्थाओं द्वारा निर्मित भवनों के लिये अग्रेषित न किया जावे.

म. प्र. वित्त संहिता भाग-एक के नियम 245 के नोट तीन में आवश्यक संशोधन संलग्न है.

Add Note 3 below Rule 245

(3) Advance may not be granted to a Govt. Servant who is under suspension. The application of such Govt. Servant may not be forwarded to M. P. Housing Board Development Authorities, Town Improvement Trust/Board and such authoritics who provided house on the basis of Govt. Servants salary. Those who have applied for house building loan and if they are suspended before drawing the sanctiond amount are also not entitled to draw the money.